27/6/18

वहीन प्रार्थी के अभिलेख पर पत्रावली अन्तर्गत पेश हुई। प्रार्थी उनवान का रकबा का नामांतरण निरोध खारीज होने अथवा ही कब खारीज होने पर एक प्रार्थना पत्र उन किसी अनधिकृत नहीं कर पाता है अतः प्रार्थक पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली केवल श्रमार हेतु दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner